

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

:- आदेश :-

क्रमांक / 91 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत सेक्टर 02, अंबति विहार (थाना तेलीबांधा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 548 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 20 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्री जे.पी. शर्मा का मकान एवं श्री एच.एल. साहू का मकान
2.	पश्चिम में	श्री विमल साहू का मकान एवं श्री प्रदीप तिवारी का मकान
3.	उत्तर में	बंद है।
4.	दक्षिण में	बंद है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ / 2020 / 13736 दिनांक 30.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 18.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
1 रायपुर

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

पृ. क्रमांक / 91 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना तेलीबांधा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
1 रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

कमांक/92/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020


रायपुर, दिनांक 01/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम बीरगांव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20, डी.एम. टॉवर, बीरगांव (थाना खमतराई) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 550/ अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	बिलासपुर रोड
2.	पश्चिम में	कैलाश नगर, वार्ड क्रमांक 20
3.	उत्तर में	आर.टी.ओ. ऑफिस
4.	दक्षिण में	वीनू पेट्रोल पम्प

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13737 दिनांक 30.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 18.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. कमांक/92/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना खमतराई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/93/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत प्रोफेसर कालोनी (थाना पुरानीबस्ती) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 554/अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	साधना भवन वाली मेन रोड
2.	पश्चिम में	मरीज का घर का पिछला हिस्सा (खाली है)
3.	उत्तर में	खाली प्लाट है
4.	दक्षिण में	बंद है

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/137341 दिनांक 30.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 18.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोराना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/93/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना टिकरापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/१५/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020


रायपुर, दिनांक ०१/०७/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत उत्कल बस्ती, आकाशवाणी के पीछे (थाना सिविल लाईन) में 02 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 555/ अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	दाहिने - श्री सुनील महानंद का मकान बाये - श्री लल्ला महानंद का मकान
2.	दक्षिण में	बंद है।
3.	उत्तर में	बंद है।
4.	पश्चिम में	दाहिने - श्री रोमियो क्षत्रिय का मकान बाये - श्री भीमसेन बाघ का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/137342 दिनांक 30.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 18.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)


अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/१५/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक ०१/०७/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना सिविल लाईन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक/95/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर के अंतर्गत रूपरेला गली, रमण मंदिर वार्ड, फाफाडीह (थाना गंज) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 553/ अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्री गिरीश दुबे का मकान
2.	उत्तर में	श्री दीपक मोदी का मकान
3.	दक्षिण में	बंद है।
4.	पश्चिम में	नाला है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/137340 दिनांक 30.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 18.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/ 95/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक 02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. थाना प्रभारी, थाना गंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

—: आदेश :-

क्रमांक/96/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखण्ड तिल्दा अंतर्गत ग्राम धिवरा (थाना-खरोरा) में 05 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 551/ अजिद/एस. डब्ल्यू/20 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	खरोरा-आरंग मुख्य मार्ग
2.	पश्चिम में	श्री जय सिंह का मकान
3.	दक्षिण में	मझली एवं छिनहा तालाब
4.	उत्तर में	बंधवा तालाब पार

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13738 दिनांक 30.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 18.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/96/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना खरोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक/97/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020


रायपुर, दिनांक 01/07/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखण्ड तिल्दा अंतर्गत ग्राम धनसुली (थाना-खरोरा) में 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 552/ अजिद/एस.डब्ल्यू/20 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा उपरोक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था तथा कन्टेनमेंट जोन की चतुर्सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी :-

1.	पूर्व में	श्री राजकुमार पिता कुंजलाल नायक का मकान
2.	पश्चिम में	श्री महेश की बाड़ी
3.	दक्षिण में	श्री राजकुमार पिता हीरालाल कुर्रे का मकान
4.	उत्तर में	श्री घनश्याम पिता जत्थाराम का मकान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक सीएमएचओ/2020/13739 दिनांक 30.06.2020 अनुसार उपरोक्त कन्टेनमेंट में दिनांक 18.06.2020 के पश्चात् आज दिनांक तक कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिलने एवं कन्टेनमेंट जोन हेतु भारत सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी की गई गाईडलाईन अनुसार नया मरीज नहीं पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया जाता है।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/97/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 01/07/2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8.भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. थाना प्रभारी, थाना खरोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर